न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्याः— 191 / 2018 प्रा0 पत्र

1. गोर्धनलाल पिता उंकारलाल कुम्हार, आयु 55 साल, निवासी कृपारामजी की खेड़ी।
2. श्रीमती कंकु बाई पत्नी गोरधनाल कुम्हार, आयु 52 साल, निवासी कृपारामजी की खेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

— प्रार्थीगण

/ / बनाम / /

1. ग्राम पंचायत अरनिया जोशी पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत अरनिया जोशी श्रीमती सुगणा देवी पत्नी विनोद धाकड़, आयु 43 साल, निवासी टाई का खेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
2. ग्राम पंचायत अरनिया जोशी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जरिये सचिव, ग्राम पंचायत अरनिया जोशी।
3. राज0 सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, चित्तौडगढ़।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।
5. विनोद धाकड़ पिता कंवरलाल धाकड़, आयु 45 साल, निवासी टाई का खेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

— विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र धारा 212 रा0का0अधि0

श्री बाबुलाल पाटीदार, अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 10.08.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की वाके मौजा कृपारामजी की खेडी की खाता संख्या 145 की आराजी नं. 687 / 488 रकबा 0.5100 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा इस भूमि के पास ही प्रार्थी संख्या 1 के पिता व दादा की पुश्तैनी आराजीयात भी है जिस पर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से 60—70 सालों से कब्जा चला आ रहा है। इस भूमि पर भी प्रार्थीगण को पुरा कानूनी अधिकार प्राप्त हो चुका है। विपक्षी संख्या 1 व 2 राजनैतिक द्वेषतावश प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर निर्माण करा अकृषि कार्य में उपयोग में लेना चाहते हैं तथा निर्माण कार्य कराने पर आमदा हैं। मौके पर लड़ाई झगड़ा करने पर आमदा हैं तथा निम[illegible] शमशा[illegible] निर्माण की धमकियां दी। गांव में पूर्व में अलग शमशान है जिस पर सरकार ने लाखों रुपये [illegible] निर्माण कर रखा है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजीयात के पास ही विद्यालय भी स्थित है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया [illegible] है और सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:25:02 IST
Reason: SelfAttested

का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत 2070—73 ग्राम कृपारामजी की खेडी की खाता संख्या 94 की छायाप्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2070—73 ग्राम कृपारामजी की खेडी की खाता संख्या 145 की छायाप्रति, नक्शा ट्रेस ग्राम कृपारामजी की खेडी, नामान्तरकरण संख्या 446 ग्राम कृपारामजी की खेडी की छायाप्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2034—37 ग्राम कृपारामजी की खेडी, नकल जमाबन्दी संवत 2059—62, मौके के फोटो एवं सूचना पत्र की छायाप्रतियां एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार के कार्यालय से प्राप्त पत्र की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी अनुसार प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के गैर खातेदार हैं। मौके पर प्रार्थीगण अपना कब्जा भी बताते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रकट होता है। विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। इससे भी प्रार्थीगण के कथनों को बल मिलता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थी गैर खातेदार है जिसे खातेदार के समकक्ष विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है परन्तु प्रार्थी को सम्भावित क्षति के दृष्टिगत मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रश्नगत भूमि मौजा कृपारामजी की खेडी की खाता संख्या 145 की आराजी नं. 687/488 रकबा 0.5100 हैक्टेयर भूमि के मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 10.08.2020 को सरे ईजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:25:02 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा